

अनुदान संख्या 80 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 80-DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	1,00	94	-6
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1133,88,00		
		1133,90,00	930,78,47	-203,11,53
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			194,72,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	50,10,00		
		56,31,00	55,04,61	-1,26,39
पूरक	Supplementary	6,21,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	97904.00		
पू.	S.	2.00	78335.00	77716.15
पु.	R.	-19571.00		-618.85

(I) 5.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3455" - "मौसम विज्ञान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 5.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3455"- "Meteorology".

(II) और अधिक बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “भारतीय सर्वेक्षण - स्थलाकृतिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण दल”- 274.52 लाख रु. की बचत (8170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे भारत में आंचलिक स्तर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वेक्षण दलों) की पुर्नसंरचना किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य”-

(क) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता”-

(i) “वैज्ञानिक संस्थानों/व्यावसायिक निकायों को सहायता अनुदान”- 2474.05 लाख रु. की बचत (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 22617.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान में कटौती किए जाने और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण भी हुई।

(ii) “मिशन मोड में प्रौद्योगिकी परियोजनाएं”- 4475.53 लाख रु. की बचत (5325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) “बांस परियोजना” स्कीम के लिए प्रौद्योगिकी के संबंध में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) “अनुसंधान तथा विकास सहायता”- 753.54 लाख रु. की बचत (21815.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान में कटौती किए जाने तथा सहायता अनुदान के लिए कम संख्या में अनुकूल परियोजनाओं के पाए जाने के कारण भी हुई।

(iv) “औषधीय अनुसंधान तथा विकास सहायता निधि”- 12500.00 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्राप्त किए गए मंत्रिमंडल द्वारा निधि के सृजन के लिए अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Further savings occurred under the following heads:-

(A) “Survey of India - Topographical Surveys - Survey Parties” - saving of Rs.274.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8170.00 lakhs) was due to restructuring of Department of Survey of India (Survey Parties) at zonal level all over India.

(B) “Others”-

(a) “Assistance to Other Scientific Bodies”-

(i) “Grants-in-aid to Scientific Institutions/ Professional Bodies” - saving of Rs.2474.05 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.22617.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in February, 2004) was due to cut imposed by the Ministry of Finance in revised estimates stage and also on account of less expenditure than anticipated in the last quarter of the financial year.

(ii) “Technology Projects in Missions Mode”- saving of Rs.4475.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5325.00 lakhs) was due to delay in obtaining approval of Expenditure Finance Committee for Technology for “Bamboo Project” Scheme.

(iii) “Research and Development Support” - saving of Rs.753.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21815.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance in revised estimates stage and also on account of less number of projects finding favour for Grants-in-aid.

(iv) “Pharmaceutical Research and Development Support Fund”- saving of Rs.12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance in revised estimate stage keeping in view the approval for creation of fund by the Cabinet received in last quarter of the financial year.

(v) "सहक्रिया परियोजना"- 689.10 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया था तथा काफी संख्या में मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए विभिन्न संयुक्त उद्यमों/परियोजनाओं को गतिशील बनाने में समय लग गया।

(ख) "अन्य स्कीमें - अनुसंधान और विकास उपकर के अधीन प्राप्तियों के अंतर्गत अदायगी"- 135.00 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन के लिए उपयुक्त पाई गई परियोजनाओं की कम संख्या होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 133.67 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत और 37 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1336.66 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि शीर्ष "अन्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2003 और फरवरी, 2004 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान"- 1236.66 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1171.53 लाख रु. था।

(खा) "अन्य स्कीमें - सूचना प्रौद्योगिकी"- 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (126.39 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 621.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(v) "Synergy Projects"- saving of Rs.689.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to the fact that the programme was introduced for the first time and took time to mobilise various joint ventures/projects involving a number of Ministries/Departments.

(b) "Other Schemes - Payment against receipts under Research and Development Cess"- saving of Rs.135.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to less number of projects found fit for funding.

(III) Under two heads savings of Rs.133.67 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 19 percent and 37 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.1336.66 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.1.00 lakh each in August, 2003 and February, 2004 under "Others" - under the following heads:-

(A) "Assistance to Other Scientific Bodies - Grants-in-aid for Science and Technology Programmes for Socio Economic Development"- Rs.1236.66 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1171.53 lakhs.

(B) "Other Schemes - Information Technology" - Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.126.39 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grant of Rs.621.00 lakhs obtained in December, 2003 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Head		Total	Actual	Saving-
		grant	expenditure	
				(लाख रुपयों में)
				(In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"			
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	1050.00		
			1671.00	1561.39
पू.	S.	621.00		-109.61

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "5455"- "मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "भारत सर्वेक्षण - भवन" के अंतर्गत 765.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 421.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1186.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो नई परियोजनाओं को पूरी तरह से शुरू करने में विलंब होने के कारण 67.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.27 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(IV) उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 58.70 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "5455"- "Capital Outlay on Meteorology".

(II) Under "Survey of India - Building" - the original provision of Rs.765.00 lakhs was augmented to Rs.1186.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.421.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67.76 lakhs - due to delay in full take off of new projects.

(III) Under one head saving of Rs.78.27 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

(IV) The above savings were partly offset by excess of Rs.58.70 lakhs under one head constituting 20 percent of the sanctioned provision.